

NEWS FOR UPSC

UPSC

IAS/PCS

STATE EXAM

All Exam

ABHAY SIR

CURRENT AFFAIRS

25 Dec. 2024





चाहें **जिन्दगी** कितनी भी **कठिन** लगे
आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं
और **सफल** हो सकते हैं

Topic 1:- सिवनी परमाणु बिजली घर को न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई

Topic 2:- स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (एसओएफआर) 2023

Topic 3 :- पांच राज्यों के राज्यपाल को किया परिवर्तित

Topic 4 :- फॉरेवर केमिकल्स

**शिवनी परमाणु बिजली घर को न्यूक्लियर पाँवर कारपोरेशन
ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई**



□ मध्य प्रदेश में बरगी बांध से मात्र दो से तीन किलोमीटर ऊपर किंदरई गांव (विकास खंड घंसौर, जिला सिवनी) में परमाणु बिजली घर को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

किंतु इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध किंदरई गांव के आसपास के दो दर्जन से अधिक गांव के लोग कर रहे हैं।

विरोध किस लिए :- 1. न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का विरोध।
2. ग्रामीणों की अनुमति के बिना उनकी भूमि को अधिग्रहण करना।

विकास

सिवनी परमाणु परियोजना: सर्वे कर रहे अधिकारियों को ग्रामीणों ने रोका

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में परमाणु बिजली घर की मंजूरी दिए जाने से ग्रामीण पिछले कई दिनों से धरनारत हैं



Source:- DOWN TO EARTH

□ नर्मदा नदी के ठीक इसके दूसरी ओर चुटका गांव हैं, वहां भी परमाणु परियोजना का बनना प्रस्तावित है।

□ ग्रामीणों के विरोध के कारण पिछले 15 सालों से इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

□ भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में वर्तमान में कई सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जो देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये संयंत्र मुख्य रूप से भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) द्वारा संचालित किए जाते हैं।



□ भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र:

□ 1. तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (महाराष्ट्र)


□ भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र।

□ इसे 1969 में चालू किया गया।

□ 2. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (तमिलनाडु)

□ रूस के सहयोग से विकसित।

□ यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।



❑ 3. कैलाश परमाणु ऊर्जा संयंत्र (कर्नाटक)

❑ भारतीय डिजाइन पर आधारित।

❑ यह एक महत्वपूर्ण संयंत्र है।

❑ 4. रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (राजस्थान)

❑ कनाडा के सहयोग से स्थापित।

❑ भारत के पहले हेवी वॉटर रिएक्टर यहां स्थित हैं।



5. कलपक्कम (तमिलनाडु)

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) यहां बनाया गया।
- यह फास्ट ब्रीडर तकनीक पर आधारित है।

6. नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (उत्तर प्रदेश)

- उत्तर भारत का एकमात्र प्रमुख परमाणु संयंत्र।

7. काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र (गुजरात)

- हाल ही में इसके तीसरे और चौथे चरण का निर्माण शुरू हुआ है।



□ भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की विशेषताएं:

□ तीन चरणों का कार्यक्रम:

□ 1. प्रथम चरण: प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग।

□ 2. द्वितीय चरण: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।

□ 3. तृतीय चरण: थोरियम आधारित रिएक्टर (भारत थोरियम भंडार में समृद्ध है)।

□ थोरियम पर आधारित ऊर्जा उत्पादन:

□ भारत के पास थोरियम के बड़े भंडार हैं, और इसे भविष्य के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित किया जा रहा है।



- उद्देश्य:
 - ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना।
 - कार्बन उत्सर्जन कम करना।
 - आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
- भारत में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कई नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित हैं। ये परियोजनाएँ भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार का हिस्सा हैं और मुख्य रूप से भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) द्वारा संचालित की जाएंगी।



□ भारत के प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र:

□ 1. जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (महाराष्ट्र)

□ स्थिति: निर्माणाधीन।

□ क्षमता: 9,900 मेगावाट (6 रिएक्टर, प्रत्येक 1,650 मेगावाट)।

□ विशेषता: यह बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा।

□ सहयोग: फ्रांस की EDF कंपनी।



□ 2. कोवाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (आंध्र प्रदेश)

□ स्थिति: प्रस्ताविता

□ क्षमता: 6,600 मेगावाट

□ सहयोग: अमेरिका के साथ समझौता।

□ 3. वित्तरपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (झारखंड)

□ स्थिति: प्रस्ताविता

□ क्षमता: 1,400 मेगावाट

□ झारखंड में यह पहला परमाणु संयंत्र होगा।



□ 4. मिथिविर्डी परमाणु ऊर्जा संयंत्र (गुजरात)

□ स्थिति: प्रस्तावित

□ क्षमता: 6,600 मेगावाट

□ सहयोग: अमेरिका के वेस्टिंगहाउस के साथ

□ 5. हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (पश्चिम बंगाल)

□ स्थिति: प्रस्तावित

□ क्षमता: 6,600 मेगावाट

□ चुनौतियाँ: स्थानीय विरोध के कारण परियोजना में देरी हो रही है



- ❑ 6. भवनापुरम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (तमिलनाडु)
 - ❑ स्थिति: योजना के अधीन
 - ❑ क्षमता: 1,400 मेगावाट

- ❑ 7. गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र (हरियाणा)
 - ❑ स्थिति: निर्माणाधीन
 - ❑ क्षमता: 2,800 मेगावाट
 - ❑ यह उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

- ❑ 8. मैलेपल्ली परमाणु ऊर्जा संयंत्र (तेलंगाना)
 - ❑ स्थिति: प्रस्तावित
 - ❑ क्षमता: 2,500 मेगावाट



- सरकार की रणनीति:
 - भारत 2030 तक 22 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखता है।
 - थोरियम-आधारित ऊर्जा पर शोध और विकास।
 - विदेशी तकनीकी साझेदारियों (जैसे रूस, फ्रांस, और अमेरिका) का उपयोग।
-
- लाभ:
 - ऊर्जा का दीर्घकालिक स्रोत।
 - कार्बन मुक्त उत्पादन।
 - देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा।



□ 2. वैश्विक तुलना:

□ वैश्विक स्तर पर औसतन परमाणु ऊर्जा का योगदान 10% से अधिक है।

□ भारत इस औसत से काफी पीछे है।

□ भविष्य के लक्ष्य:

□ 1. 2030 तक योगदान बढ़ाने का लक्ष्य:

□ सरकार ने 2030 तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

□ यह भारत के कुल ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 7-8% तक ले जाने का प्रयास है।



□2. नई परियोजनाएँ:

□जैतापुर (महाराष्ट्र), कुडनकुलम (तमिलनाडु), और गोरखपुर (हरियाणा) जैसी योजनाएँ पूर्ण होने पर उत्पादन बढ़ेगा।

□3. थोरियम आधारित रिएक्टर:

□दीर्घकालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम प्रौद्योगिकी का विकास भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है।



स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (एसओएफआर) 2023



- जंगलों में आग: ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (एसओएफआर) 2023 के अनुसार पश्चिमी हिमालयी राज्यों में जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इनमें कमी आई है।
- पश्चिमी हिमालयी राज्यों में इस स्थिति :- हिमाचल में 1,339%, जम्मू-कश्मीर में 2,822%, उत्तराखंड में 293% घटनाओं का इजाफा
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस डाटा को प्राप्त करने के विजिबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट (वीआईआईआरएस) का इस्तेमाल किया गया।



- विश्लेषण से यह भी पता चला है कि देश के जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में कमी हुई है।
- इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए भारत सरकार ने जंगल में आग की निगरानी और मानचित्रण के लिए उपग्रह का उपयोग किया है।
- रिपोर्ट से पता चला है कि 2021-22 में आग के सीजन के दौरान, दो उपग्रहों ने ऐसी घटनाओं के 253,008 हॉटस्पॉट का पता लगाया था।
- जंगल में आग की अधिकतर घटनाएं नवंबर से जून के बीच अधिक देखी जाती हैं।
- वहीं अगले साल इन हॉटस्पॉट्स की संख्या 243,394 दर्ज की गई, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 229,934 रह गया।



- रिपोर्ट के अनुसार:- नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच आग ने कुल 2,434,562.33 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों को अपनी चपेट में लिया।
- आग से सर्वाधिक प्रभावित वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया, जो 5,287 वर्ग किलोमीटर में फैला था।
- इसके बाद महाराष्ट्र में 4,095 वर्ग किलोमीटर और तेलंगाना 3,983 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ था।
- गोवा के जंगलों में आग की घटनाओं में आई है 75 फीसदी की कमी
- पंजाब के जंगलों में आग की घटनाओं में 400 फीसदी की वृद्धि हुई है
- दिल्ली में 128 फीसदी, राजस्थान में 111 फीसदी, हरियाणा में 102 फीसदी और सिक्किम में 106 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।



- इसी तरह तमिलनाडु में आग की घटनाओं में 69 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
- उत्तर प्रदेश में 36 फीसदी, गुजरात में 35 फीसदी, मिजोरम में 14 फीसदी और तेलंगाना में 2.8 फीसदी की वृद्धि रिकॉर्ड की गई।
- केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख में 60 फीसदी की वृद्धि देखी
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन घटनाओं में पांच फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया।
- जंगल की आग (Forest Fire) गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्या है। यह प्राकृतिक कारणों और मानवीय गतिविधियों दोनों के कारण हो सकती है। जंगल की आग से पर्यावरण, जीव-जंतु, और मानव जीवन को बड़ा खतरा होता है।



❑ जंगल की आग के कारण

❑ प्राकृतिक कारण

- ❑ 1. सूखा (Drought): लंबे समय तक बारिश न होने पर सूखी वनस्पति आग पकड़ सकती है।
- ❑ 2. बिजली गिरना (Lightning): बिजली गिरने से जंगलों में आग लग सकती है।
- ❑ 3. वायु का तेज प्रवाह: तेज हवा आग को तेजी से फैलाने में मदद करती है।
- ❑ 4. गर्म और शुष्क मौसम: उच्च तापमान और कम नमी आग को बढ़ावा देते हैं।



❑ मानवीय कारण

- ❑ 1. असावधानी: खुले में जलती हुई आग छोड़ना। कैंपिंग के दौरान आग ठीक से बुझाना।
- ❑ 2. कचरा जलाना: जंगल के पास कचरा जलाने से आग फैल सकती है।
- ❑ 3. गाड़ियों और मशीनों से चिंगारी: जंगलों के पास चलती गाड़ियों से निकली चिंगारी आग का कारण बन सकती है।
- ❑ 4. अवैध गतिविधियाँ: लकड़ी तस्करी या जंगलों को साफ करने के लिए जानबूझकर आग लगाना।



- जंगल की आग के प्रभाव
- 1. पर्यावरणीय नुकसान:
 - वृक्षों और वनस्पतियों का विनाश।
 - जैव विविधता का नुकसान।
 - कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि।
- 2. मानव जीवन पर प्रभाव:
 - स्वास्थ्य समस्याएँ (धुएँ के कारण)।
 - आर्थिक नुकसान (लकड़ी उद्योग, कृषि)।



□ 3. मिट्टी की गुणवत्ता पर असर:

□ मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है।

□ जंगल की आग से बचाव के उपाय

□ 1. जागरूकता अभियान: लोगों को जंगल की आग के खतरों और बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना।

□ 2. वन प्रबंधन: नियमित रूप से सूखी घास और मृत पेड़ों को हटाना।

□ आग रोधी (Firebreaks) क्षेत्र बनाना।

□ 3. सख्त कानून: अवैध लकड़ी कटाई और जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाना।

□ 4. सुरक्षित पर्यटन: जंगल में आग जलाने पर पाबंदी।

□ कैम्पिंग के दौरान सावधानी।



❑ तकनीकी उपाय

- ❑ 1. आधुनिक उपकरण: आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का उपयोग।
- ❑ 2. अल्टी वॉर्निंग सिस्टम: आग का पता लगाने के लिए सैटेलाइट और सेंसर तकनीक का उपयोग।
- ❑ 3. सामुदायिक निगरानी: स्थानीय समुदायों को आग की निगरानी और नियंत्रण में शामिल करना।

❑ आग के समय बचाव के उपाय

- ❑ 1. त्वरित प्रतिक्रिया टीम: प्रशिक्षित अग्निशमन दल का गठन।
- ❑ 2. पानी और रसायनों का उपयोग: आग को बुझाने के लिए जल और फोम रसायन का छिड़काव।
- ❑ 3. सुरक्षित निकासी: आग प्रभावित क्षेत्रों से लोगों और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना।



पांच राज्यों के राज्यपाल को किया परिवर्तित




जनरल (रि.)
वी के सिंह
राज्यपाल, मिजोरम



राजेन्द्र आर्लेकर
राज्यपाल, केरल



आरिफ मोहम्मद
खान
राज्यपाल, बिहार



अजय भल्ला
राज्यपाल, मणिपुर



हरी बाबू
कंभमपति
गवर्नर, ओडिशा

- हाल ही में केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने पांच राज्यों के राज्यपाल को परिवर्तित किया है या नए राज्यपालों को वहां अप्वाइंट किया है
- मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त।
- बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया।
- जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त।
- अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त।
- केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त।




- राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं।
- राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 में वर्णित हैं।

□ राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल

1. नियुक्ति:

- राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

**पांच राज्यों के बदले राज्यपाल,
जानिए नए राज्यपालों के नाम**



2. योग्यता:

- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- कम से कम 35 वर्ष की आयु हो
- वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते।

3. कार्यकाल:

- सामान्यतः 5 वर्ष।
- राष्ट्रपति के विवेक पर हटाया जा सकता है।
- कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पद पर बने रह सकते हैं।

4. शपथ ग्रहण:

- राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है।



□ राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य

1. कार्यकारी शक्तियाँ:

- राज्य सरकार का प्रमुख होता है।
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
- मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे: महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।



2. विधायी शक्तियाँ:

- विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना, और भंग करना।
- विधेयकों को मंजूरी देना, अस्वीकृत करना, या राष्ट्रपति को भेजना।
- राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना।
- अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद 213)।
- विधायिका के बजट सत्र की शुरुआत में अभिभाषणा।

3. वित्तीय शक्तियाँ:

- राज्य का वार्षिक बजट पेश होता है राज्यपाल की अनुमति से।
- धन विधेयक उनकी मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता।
- राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं।



4. न्यायिक शक्तियाँ:

- राज्य के अपराधियों को दया, क्षमा, या दंड माफी का अधिकार।
- दंड को कम, स्थगित, या समाप्त कर सकते हैं।

5. आपातकालीन शक्तियाँ:

- राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रशासन चलाना।
- संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजना।



□ राज्यपाल की भूमिका में महत्वपूर्ण बिंदु (UPSC के लिए):

1. संवैधानिक प्रमुख:

□ राज्यपाल राज्य का एक गैर-राजनीतिक प्रमुख होता है।

2. डबल भूमिका:

□ एक ओर वह राज्य का प्रमुख होता है, दूसरी ओर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि।

3. पद का विवाद:

□ कभी-कभी केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका विवाद का विषय बन जाती है।



4. अधिकारों की सीमाएँ:

- राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं।
- स्वतंत्र विवेकाधिकार का उपयोग सीमित मामलों में करते हैं।

5. अध्यादेश जारी करना:

- यह शक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है।



□ संविधान के अनुच्छेद और राज्यपाल से संबंधित तथ्य

- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा।
- अनुच्छेद 154: कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
- अनुच्छेद 155: राज्यपाल की नियुक्ति।
- अनुच्छेद 156: राज्यपाल का कार्यकाल।
- अनुच्छेद 161: दया याचिका पर निर्णय।
- अनुच्छेद 213: अध्यादेश जारी करने की शक्ति।



□ राज्यपाल से जुड़े मुद्दे (UPSC के दृष्टिकोण से):

1. पद की निष्पक्षता:

□ केंद्र सरकार के प्रति अधिक झुकाव होने के आरोप।

2. अध्यादेश का दुरुपयोग:

□ राज्यपाल द्वारा अध्यादेश की शक्ति का अनुचित उपयोग।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप:

□ राष्ट्रपति शासन लागू करने में पक्षपात का आरोप।

□ राज्यपाल के पद, उनकी भूमिका, शक्तियों और व्यवहार के सुधार से संबंधित समय-समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन किया गया है।



□ इन समितियों ने राज्यपाल के कार्यों में पारदर्शिता और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए सिफारिशें दी हैं

□ राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख समितियाँ और आयोग

1. राजमन्मार समिति (1969)

□ गठन का उद्देश्य:

□ केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा

□ राज्यपाल से संबंधित सिफारिशें:

1. राज्यपाल को केवल औपचारिक और नाममात्र की भूमिका निभानी चाहिए
2. राज्यपाल की भूमिका पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होनी चाहिए
3. राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट मानने से बचा जाना चाहिए



2. सरकारिया आयोग (1983)

□ गठन का उद्देश्य:

□ केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा

□ राज्यपाल से संबंधित सिफारिशें:

1. राज्यपाल की नियुक्ति में निष्पक्षता होनी चाहिए
2. राज्यपाल को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जो पूरी तरह से गैर-राजनीतिक हो।
3. राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए
4. राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना चाहिए
5. राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने चाहिए



3. वेंकटरमैया समिति (1988)

□ गठन का उद्देश्य:

□ राज्यपाल के कार्यों की जांच।

□ सिफारिशें:

1. राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए।
2. उनकी नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए।
3. उनके विवेकाधिकार को सीमित करना चाहिए।



4. एम.एम. पुंछी आयोग (2007)

□ गठन का उद्देश्य:

□ भारतीय संघीय ढांचे की समीक्षा और सुधार

□ राज्यपाल से संबंधित सिफारिशें:

1. राज्यपाल का कार्यकाल तय होना चाहिए (5 वर्ष की गारंटी)।
2. राज्यपाल की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए।
3. राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए ताकि विवादों से बचा जा सके।
4. अनुच्छेद 356 के उपयोग में राज्यपाल की रिपोर्ट पूरी तरह से तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए।
5. राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की तर्ज पर चुना जाना चाहिए।



□ मुख्य सिफारिशें (सभी समितियों का सार):

1. निष्पक्षता और तटस्थता:

□ राज्यपाल का पद पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होना चाहिए।

2. मुख्यमंत्री की भूमिका:

□ राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए।

3. कार्यकाल की सुरक्षा:

□ राज्यपाल को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए।

4. अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोकना:


□ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए।

5. संवैधानिक जवाबदेही:

□ राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के।



फॉरेवर केमिकल्स



□ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 19 दिसंबर, 2024 फॉरएवर केमिकल्स के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को देखते हुए को कहा कि :- इन कभी न खत्म होने वाले रसायनों के लिए जल्द से जल्द मानक तय किए जाने चाहिए।

□ अदालत के मुताबिक :-

1. फॉरएवर केमिकल्स स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं।
2. इनके लिए मानकों को तय करना आवश्यक है।
3. लोगों को जल प्रदूषण के गंभीर प्रभावों से बचाने हेतु जल अधिनियम 1974 का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।



□ यह निर्णय 7 अप्रैल, 2024 को द हिंदू में प्रकाशित खबर के आधार पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है।

□ **खबर :-** आईआईटी मद्रास के एक अध्ययन में चेन्नई की बकिंघम नहर, अड्यार नदी और चेम्बरमबक्कम झील में फॉरएवर केमिकल्स, पर-एंड पॉली-फ्लोरो अल्काइल सब्स्टेंसेस (पीएफएएस) की मौजूदगी का पता चला है। खबर तमिलनाडु के जलस्रोतों में फॉरएवर केमिकल्स की मौजूदगी से जुड़ी है।

□ **फॉरएवर केमिकल्स (Forever Chemicals)**

□ फॉरएवर केमिकल्स को पे- और पॉलीफ्लोरोआल्किल सब्स्टेंसेज (PFAS) कहा जाता है। ये एक प्रकार के सिंथेटिक रसायन हैं, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और इन्हें जैविक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता।



□ मुख्य तथ्य:

1. संरचना:

□ इन रसायनों में कार्बन-फ्लोरीन बंधन होता है, जो उन्हें अत्यधिक टिकाऊ और जल, तेल, और ऊष्मा प्रतिरोधी बनाता है।


2. उपयोग:

□ नॉन-स्टिक कुकवेयर (जैसे टेफ्लॉन), वॉटरप्रूफ कपड़े, फायर-फाइटिंग फोम, खाद्य पैकेजिंग, और औद्योगिक प्रक्रियाओं में।

3. प्रभाव:

□ पर्यावरण पर प्रभाव:

□ ये मिट्टी और पानी में मिलकर कई वर्षों तक बने रहते हैं।



□ स्वास्थ्य पर प्रभाव:

□ कैंसर, हृदय रोग, हार्मोनल असंतुलन, प्रतिरक्षा प्रणाली में कमजोरी, और गर्भावस्था संबंधी समस्याएं।

4. फॉरेवर केमिकल्स का संकट:

ये रसायन न केवल हवा, पानी और भोजन में फैलते हैं, बल्कि जैव संचयन (Bioaccumulation) के कारण जीवित प्राणियों में भी एकत्र हो सकते हैं।

□ समस्या का समाधान:

1. विनियम और नीति:

फॉरेवर केमिकल्स के उपयोग पर सख्त नियंत्रण और विनियमन।
वैकल्पिक, पर्यावरण-अनुकूल रसायनों का विकास।



2. शोधन तकनीक:

□ एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस (AOPs) और सक्रिय कार्बन फिल्ट्रेशन जैसी तकनीकों का उपयोग।

3. अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:


□ स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत PFAS जैसे खतरनाक रसायनों को सूचीबद्ध करना।

□ संयुक्त राष्ट्र और WHO द्वारा जागरूकता अभियान।

□ भारत में स्थिति:

□ भारत में PFAS के उपयोग और प्रभाव के बारे में जागरूकता अभी सीमित है।

□ नीति आयोग और पर्यावरण मंत्रालय इस विषय पर शोध और विनियम विकसित कर रहे हैं।




□ फॉरेवर केमिकल्स की प्रमुख श्रेणियाँ:

1. पेरफ्लुओरोक्टेन सल्फोनिक एसिड (PFOS):

यह एक प्रकार का फ्लोरिनयुक्त रसायन है, जो जल, तेल, और दाग-धब्बे से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। यह अक्सर फायर-फाइटिंग फोम (फायर एक्सटिंगुइशर) में पाया जाता है।

2. पेरफ्लुओरोक्टेनिक एसिड (PFOA):

यह रसायन भी "फॉरेवर केमिकल्स" में शामिल है और यह टेफ्लॉन जैसी नॉन-स्टिक कोटिंग्स में पाया जाता है। यह भी जल, तेल और दाग-धब्बे से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।



3. पेरफ्लूरोबुटेन (PFBS), पेरफ्लूरोहेक्सेन (PFH_xS), पेरफ्लूरोहेक्सानोइक एसिड (PFH_xA), आदि:

□ ये सभी अन्य प्रकार के PFAS हैं, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और जीवों में जमा हो सकते हैं

□ फॉरेवर केमिकल्स के उपयोग:

- टेपलॉन (Non-stick cookware) में
- वॉटरप्रूफ कपड़े (जैसे जलरोधी जैकेट, जूते)।
- फायर-फाइटिंग फोम।
- खाद्य पैकेजिंग (जैसे पिज्जा बॉक्स, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग)।
- औद्योगिक प्रक्रियाएँ (जैसे कोटिंग्स और वाटरप्रूफिंग एजेंट्स)।



❑ फॉरेवर केमिकल्स के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव:

❑ स्वास्थ्य पर प्रभाव:

❑ ये रसायन शरीर में जमा हो सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, हार्मोनल असंतुलन, और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी।

❑ पर्यावरण पर प्रभाव:

❑ ये रसायन जल, मिट्टी और हवा में फैल सकते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है।



THANK YOU



@resultmitra / 8650457000



@resultmitra



@resultmitra



Result

